

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन

देहरादून

संख्या: 329 / पी1-34(Phase-XVI) / यू.आर.आर.डी.ए. / 18 दिनांक: 14 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16, वर्ष 2018-19, बैच-1 में 182 (1000+ की 02, 500+ की 22, 250+ की 158 एवं 2 कलस्टर) असंयोजित पात्र बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु Regular PMGSY के अन्तर्गत 256 कार्यों (स्टेज-1 के 107, स्टेज-1व2 के 27, स्टेज-2 के 95 एवं सेतु के 27), लम्बाई 2038.289 किमी०, लागत ₹ 1262.82 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 1135.71 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 127.11 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र सं० पी-17024/24/2017-RC (FMS-355978) दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में, कार्यवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति परिशिष्ट-क के अनुसार प्रदान की जाती है। इन 256 कार्यों में से स्टेज-1 के कार्यों हेतु 02 वर्षीय एवं स्टेज-1व2, स्टेज-2 व सेतुओं हेतु 05 वर्षीय अनुस्क्षण एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय ₹ 106.77 करोड़ का वहन, शासनादेश सं० 2078/आई1-01/पी०एम०जी०एस०वाई०/03 दिनांक 17 दिसम्बर 2003 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

हस्ताक्षर

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए०।
3. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० राघव लंगर)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू०आर०आर०डी०ए०

